न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2019 राजस्व अपील

1. तेजा
2. हरना } पि0 बुद्धा जाति गुर्जर निवासी बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. पुखराज
4. अडीसाल पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय निर्णय दिनांक 31.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम तेजा वगैराह प्रकरण संख्या 235/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 15.07.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स के विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम बहरावण्डा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 0.55 है0 किस्म सिवायचक पर सम्वत 2075 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना ही अपीलान्ट्स के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को दिनांक 31.08.2018 को अतिक्रमण शुदा आराजी से बेदखल कर पेनल्टी कायम करने के साथ ही अपीलान्ट्स को 90 दिन के सिविल कारावास से की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 31.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का यह निर्णय विधि विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट्स की विधिवत तामील हुए बिना ही तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही एकतरफा में दिनांक 31.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय पारित कर किया है। अपीलान्ट्स ने

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को कोई सबूत व दस्तावेज नहीं होने के बावजूद भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जबकि अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना भी साबित नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णव व आदेश दिनांक 31.08.2018 को खारिज करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा संवत 2075 में ग्राम बहरावण्डा में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 0.55 है0 किस्म सिवायचक पर सम्वत 2075 में बाजरे की काश्त करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 31.08.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत आराजी भूमि राजकीय भूमि है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 31.08.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 235/2018 उनवानी सरकार बनाम तेजा वगैराह में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर के इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official